न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर,
आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 15/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मगनाराम पुत्र मसराराम, जाति सरगरा, निवासी–बापूनगर कॉलोनी, जालोर, तहसील–जालोर, जिला–जालोर (राज.)		1 राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार,तहसील जालोर, जिला जालोर। 2 मोयाराम पुत्र मसराराम–सरगरा 3 राणाराम पुत्र मसराराम –सरगरा 4 जबराराम पुत्र मसराराम–सरगरा, निवासीगण बापूनगर कॉलोनी जालोर, तहसील जालोर,जिला जालोर(राज.)

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–
1.श्री चन्दनमल छीपा,अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह, अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3.रेस्पोडेन्ट सं.2से 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 2.2.2018

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा जालोर(ए) में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 की आराजी खसरा नंबर 1178 से 1181,कुल रकबा 4.88 हेक्टर, किस्म बारानी सोयम में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के दादा दीपला वल्द हीरा की खातेदारी भूमि दर्ज थी जिसके पुराने खसरा नं. 1599 रका 27 बिघा 4 विस्वा का 1/2 हिस्सा अंकित था। दीपला के देहान्त से पूर्व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पिता मसराराम का देहान्त हो चुका था,दीपला की पत्नि यानि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 की दादी का भी देहान्त दीपला से पूर्व में हो चुका था जिससे द्वितीय सैटलमेन्ट में दीपला के स्थान पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.2 से 4 के नाम से नामान्तरकरण दर्ज होना था जो दर्ज न होकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 की वल्दियत में मसराराम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

बजाय दादा–दीपला का नाम दर्ज करने से यह अपील पेश की है। अपीलांट द्वारा अपना केवीसी कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी के पास जाने पर व रेकर्ड देखने पर दिनांक 6.2.2017 को जानकारी हुई तथा नकले दिनांक 8.2.2017 को मांगने पर मिलने से यह अपील पेश की है डीले कन्डोन करने पर अपील अन्दर म्याद है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के पिता के नाम में दर्ज गलत वल्दियत दीपला के बजाय मसराराम अंकित करावे। अपीलांट ने अपील के साथ शपथपत्र ,धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व फहरिस्त के साथ नामान्तरकरण सं. 327 आदि की फोटो प्रमाणित प्रति पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र,शपथपत्र का रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से कोई जवाब,शपथपत्र पेश नही किया गया है, अतः अपीलांट की अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट वकील ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि सरहद मौजा जालोर(ए) खसरा नंबर 1178 से 1181,कुल रकबा 4.88 हेक्टर में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के दादा दीपला वल्द हीरा की खातेदारी भूमि दर्ज थी जिसके पुराने खसरा नं. 1599 रकबा 27 बिघा 4 विस्वा का 1/2 हिस्सा अंकित था। अपीलांट के दादा–दीपला के देहान्त से पूर्व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के दादी व पिता मसराराम का देहान्त हो चुका था,दीपला की मृत्यु के बाद द्वितीय सैटलमेन्ट में दीपला के स्थान पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.2 से 4 के पिता का नाम मसराराम दर्ज न कर दीपला दर्ज कर दिया जबकि दीपला जो अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.2 से 4 के दादा लगते थे। अतः नामान्तरकरण सं. 327 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.2 से 4 के पिता का नाम 'दीपला' के बजाय 'मसराराम' दर्ज कराने का आदेश करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा जालोर(ए) पुराने खसरा नं. 1599 रकबा 27 बिघा 4 विस्वा का 1/2 दीपला वल्द धीरा अंकित था जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1178 से 1181,कुल रकबा 4.88 हेक्टर में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के दादा–दीपला की खातेदारी

Sd.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

का था, अपीलांट मगनाराम के शपथपत्र दिनांक 29.12.1992 की फोटो प्रति के अनुसार अपीलांट आदि के दादा—दीपला के देहान्त से पूर्व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की दादी व पिता मसराराम का देहान्त हो चुका था लेकिन अपीलांट आदि की माता यानि मसराराम की पत्नि के बारे में कोई उल्लेख अपील में नही है कि उसका देहान्त हुआ या नही, तथा देहान्त हुआ है तो अपीलाट के पिता मसराराम के देहान्त से पूर्व हुआ है या बाद में,के बारे में कोई प्रमाण रेकर्ड पर प्रस्तुत नही है। दीपला की मृत्यु के बाद द्वितीय सैटलमेन्ट में मगनाराम पुत्र मसराजी द्वारा दीपला के फौतगी म्युटेशन सं.327 भरने हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर को प्रस्तुत करने पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने नामान्तरकरण सं. 327 में अपीलांट—मगनाराम आदि के पिता का नाम दीपला अकित कर दिया जो दिनांक 28.2.1993 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने स्वीकृत किया है। अतः मगनाराम के शपथपत्र दिनांक 29.12.1992 के अनुसार अपीलांट मगनाराम के पिता का नाम मसराराम है, रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 अपीलांट के भाई है। अतः न्याय हित में मौजा जालोर—ए के नामान्तरकरण सं. 327 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के पिता का नाम दीपला(दादा) के बजाय मसराराग (पिता) करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील रिमाण्ड योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, पार्टी नं.3, जोधपुर के आदेश दिनांक 28.2.1993 (ना.क.सं.327) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाता हैं व प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि दीपला(फौत) मसराराम के कायम मुकाम जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर ,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

Sd
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

निर्णय,आज दिनांक 2.2.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

Sd
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)